न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–16 / 2013 तारीख दायरा 01.07.2013

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी

बनाम

बलविन्द्रसिंह, बलदेवसिंह, लखविन्द्रसिंह पिसरान हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वी तहसील श्री करणपुर ..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से

।। निर्णय।। दिनांक 3/11/19

1– उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा दिनांक 29.06.2006 को रकबा चक 9 एस ए के खसरा नम्बर 65 के 5.12 बीघा व खसरा नम्बर 66 के 5.15 बीघा जोहड़ पायतन में से कुल 2.09 बीघा भूमि को अप्रार्थीगण को आवंटन किया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित थी। आवंटन खारिज योग्य है।

2– रैफरेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री मोहन लाल माहर एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया लेकिन अप्रार्थी की ओर जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 6.10.2017, 10.10.2017, 16.10.2017 व 27.10.2019 को वकील अप्रार्थी अथवा स्वयं अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए अतः एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

3– बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि आराजी जेर बहस जरिये आवन्टन आदेश दिनांक 29.06.2006 अप्रार्थी को आवटित की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी। जिसे आवन्टन नहीं किया जा सकता था। अतः रैफरैंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावे।

4– बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप जिला कलक्टर श्री करणपुर द्वारा क्रमांक 1049 दिनांक 29.06.2006 द्वारा जोहड की भूमि अप्रार्थीगण को आवंटित की गई है। जिसका इन्तकाल संख्या 178 दिनांक 17.08.2006 को स्वीकृत किया गया है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

5– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिला कलक्टर ऐसा रिकार्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकार्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।

6– प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

7' उक्त भूमि की किस्म मुताबिक रिकार्ड जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। धारा 16 में उपबंधित किया गया है कि Land reserved for flow of water can not be allotted on the basis of long possession ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार श्री करणपुर को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रैफरैंस पेश करने हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 3/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर